

संपरिवर्तन आदेश

धमाणा सेवा शेख ट्रस्ट नई दिल्ली जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी विजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह राजपूत निवासी इन्द्रपुरा की ग्राम इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनु में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का संस्थागत प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	धमाणा सेवा शेख ट्रस्ट नई दिल्ली जरिये मैनेजिंग ट्रस्टी विजेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनु
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा: (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हेक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनु खसरा संख्या 194 रकबा 0.55 है 0 खसरा संख्या 194 रकबा 0.55 है 0 से 5000 वर्गमीटर
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के संलग्न है। शैक्षणिक संस्थान प्रयोजनार्थ
5.	वालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमीयम की रकम	वालान संख्या 98 दिनांक 8.9.09 राशि 25,000/रु
6.	वालान की संख्या तथा तारीख सहित धारित यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	वालान की संख्या तथा तारीख सहित व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हों	नहीं

- 10 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -
- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमिका उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
  - (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम घन समपहत ही जायेगा।
  - (3) नियम-4 में यथा वर्णित भूमिका उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
  - (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
  - (5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से 15 मीटर दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी।
  - (6) निकटस्थ नगरपालिका / ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी।
  - (7) राजस्व(ग्रुप-6)विभाग के परिपत्र दिनांक 17.7.2007 की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
  - (8) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।
  - (9) 40 प्रतिशत स्थान बच्चों के खेलकूद, वाहन एवं पार्किंग आदि के लिए खुला छोड़ना होगा।
  - (10) यदि प्रार्थी नेशनल हाइवे से जाने के लिए स्वीकृति चाहता है तो ऐसी स्थिति में नेशनल हाइवे आथोरिटी ऑफ इंडिया से और यदि राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।

क्रमांक प 12(3)(41) राज/09/ 4769-75  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. उप खण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी।
2. तहसीलदार उदयपुरवाटी।
3. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा कलेक्टर गुड्डु।
4. सहायक अभियंता, सा0नि0विभाग उदयपुरवाटी।
5. सरपंच ग्राम पंचायत इन्द्रपुरा पंचायत समिति उदयपुरवाटी जि0 गुड्डु।
- ✓ धमाणा सेवा शंख ट्रस्ट नई दिल्ली जसिधे मेनेजिंग ट्रस्टी विजेन्द्रसिंह पुत्र सुमनसिंह राजपूत निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला गुड्डु।
7. गार्ड फाईल

जिला कलेक्टर गुड्डु  
दिनांक 1 सितम्बर 2009  
महेश्वर

जिला कलेक्टर गुड्डु



5

श्री ५ - इन्द्रपुर  
बदली - इन्द्रपुर  
क्रिया - ३४१२  
पत्रिका - १२४५ = ४०२



३५ - ३५५ / ३ - ३ - ०९

३५५ - ३५५ / ३ - ३ - ०९

३५५ - ३५५ / ३ - ३ - ०९